भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1173
08.12.2025 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कदम

1173. श्री राजीव राय :
श्री नीरज मौर्य :
डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम :
श्री देवेश शाक्य :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में वन क्षेत्र का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई योजना क्रियान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में वन क्षेत्र में वृद्धि/कमी की दर का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और इसके कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो उक्त अध्ययनों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;
(घ) गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वन क्षेत्र में कमी/वृद्धि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश का जिला-वार सहित, ब्यौरा क्या है;
(ङ) गत पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी धनराशि कितनी है; और
(च) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत पुनः प्राप्त/वन क्षेत्र के रूप में पुनः प्राप्त कुल भूमि का उत्तर प्रदेश का जिला-वार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, द्विवार्षिक आधार पर देश के वन एवं वृक्ष आवरण का आकलन करता है और उसके निष्कर्षों को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। वनावरण का आकलन दूरसंवेदी तकनीक पर आधारित एक समग्र रेखांकन प्रक्रिया है, जो गहन जमीनी सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त फील्ड डेटा से संमर्थित है ।

आईएसएफआर 2023 के अनुसार, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27356.95 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वन आवरण और वृक्ष आवरण का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन सहित वनावरण में वृद्धि करने हेतु केंद्र सरकार की कई योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रौद्योगिकीय और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसमें राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम), वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन योजना (एफपीएम), नगर वन योजना (एनवीवाई), तटीय पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) और एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास शामिल है।

इसके अलावा, देशभर में पौधारोपण कार्यकलापों के संचालन हेतु विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर और इस वर्ष भी "एक पेड़ माँ के नाम #प्लांट4मदर" एक पौधारोपण अभियान भी शुरू किया गया है। यह अभियान “समग्र सरकार और समग्र समाज” के दृष्टिकोण का पालन करता है, जिसमें देश में हरित आवरण बढ़ाने में सभी हितधारकों की भागीदारी होती है। इस अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ है, जिसने देश में हरित आवरण के विस्तार में सहायता मिली है।

यह वन सुरक्षा और संरक्षण के साथ-साथ वनीकरण प्रयासों के संबंध में किए गए व्यापक कार्यों का परिणाम है कि वनावरण वर्ष 2019 में 7,12,249.00 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023 में 7,15,342.61 वर्ग किमी हो गया है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वन क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन वनस्पति की प्राकृतिक वृद्धि, वनीकरण पहलों, वृक्षारोपण एवं वन क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा, वनों के बाहर पेड़ों की संख्या में वृद्धि तथा खेती वाले क्षेत्रों में पतिवर्तन करके पुनरसृजन और नकारात्मक परिवर्तन अल्पावधिक क्रमागत पौधरोपन की की कटाई, खेती बदलाव अतिक्रमण तथा तूफान, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं।

(घ) पिछले चार वर्षों के दौरान, आईएफएसआर 2019 और आईएफएसआर 2023 के बीच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वन और वृक्ष आवरण में हुई गिरावट/वृद्धि का ब्यौरा, जिसमें उत्तर प्रदेश और मणिपुर की स्थिति भी शामिल है, **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ) और (च) वर्ष 2000-01 से मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) लागू किया है। एनएपी का मुख्य उद्देश्य अपक्षयी वन क्षेत्रों का पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और विशेष रूप से वन सीमांत समुदायों, विशेषकर गरीबों के आजीविका स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन भागीदारी के माध्यम से वन संसाधनों का विकास करना था। वर्तमान में इस योजना (एनएपी) का विलय राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) में कर दिया गया है और एनएपी के तहत कोई नए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तदनुसार, पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष में एनएपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

****

अनुलग्नक-I

'वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कदम' के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को उत्तर के लिए श्री राजीव राय और अन्य द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1173 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आईएसएफआर 2019 से आईएसएफआर 2023 तक वनावरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(वर्ग किलोमीटर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वन आवरण (आईएसएफआर 2019)	वृक्ष आवरण (आईएसएफआर 2019)	वन और वृक्ष आवरण (2019)	वन आवरण (आईएसएफआर 2023)	वृक्ष आवरण (आईएसएफआर 2023)	वन और वृक्ष आवरण (2023)	वन आवरण में परिवर्तन	वन एवं वृक्ष आवरण में परिवर्तन
1	आंध्र प्रदेश	29,137.00	3,914	33,051.00	30,084.96	5,340.02	35,424.98	947.96	2,373.98
2	अरुणाचल प्रदेश	66,688.00	848	67,536.00	65,881.57	1,201.63	67,083.20	-806.43	-452.80
3	असम	28,327.00	1,408	29,735.00	28,313.555	2,101.46	30,415.02	-13.45	680.01
4	बिहार	7,306.00	2,003	9,309.00	7,532.45	2,370.21	9,902.66	226.45	593.66
5	छतीसगढ	55,611.00	4,248	59,859.00	55,811.75	6,538.70	62,350.45	200.75	2,491.45
6	दिल्ली	195.44	129	324.44	195.28	176.03	371.31	-0.16	46.87
7	गोवा	2,237.00	272	2,509.00	2,265.72	257.82	2,523.54	28.72	14.54
8	गुजरात	14,857.00	6,912	21,769.00	15,016.64	6,632.29	21,648.93	159.64	-120.07
9	हरियाणा	1,602.00	1,565	3,167.00	1,614.26	1,693.02	3,307.28	12.26	140.28
10	हिमाचल प्रदेश	15,434.00	829	16,263.00	15,580.35	855.07	16,435.42	146.35	172.42
11	झारखंड	23,611.00	2,657	26,268.00	23,765.78	3,637.55	27,403.33	154.78	1,135.33
12	कर्नाटक	38,575.00	6,257	44,832.00	39,254.27	7,779.15	47,033.42	679.27	2,201.42
13	केरल	21,144.00	2,936	24,080.00	22,059.36	2,905.94	24,965.30	915.36	885.30
14	मध्य प्रदेश	77,482.00	8,339	85,821.00	77,073.44	8,650.14	85,723.58	-408.56	-97.42
15	महाराष्ट्र	50,778.00	10,806	61,584.00	50,858.53	14,524.88	65,383.41	80.53	3,799.41
16	मणिपुर	16,847.00	173	17,020.00	16,585.46	209.82	16,795.28	-261.54	-224.72
17	मेघालय	17,119.00	710	17,829.00	16,966.84	720.56	17,687.40	-152.16	-141.60
18	मिजोरम	18,006.00	441	18,447.00	17,990.46	567.80	18,558.26	-15.54	111.26
19	नगालैंड	12,486.00	362	12,848.00	12,222.47	394.02	12,616.49	-263.53	-231.51
20	ओडिशा	51,619.00	4,648	56,267.00	52,433.56	6,163.45	58,597.01	814.56	2,330.01
21	पंजाब	1,849.00	1,592	3,441.00	1,846.09	1,475.15	3,321.24	-2.91	-119.76
22	राजस्थान	16,630.00	8,112	24,742.00	16,548.21	10,841.12	27,389.33	-81.79	2,647.33
23	सिक्किम	3,342.00	36	3,378.00	3,358.40	48.33	3,406.73	16.40	28.73
24	तमिलनाडु	26,364.00	4,830	31,194.00	26,450.22	5,370.72	31,820.94	86.22	626.94
25	तेलंगाना	20,582.00	2,514	23,096.00	21,179.04	3,517.66	24,696.70	597.04	1,600.70
26	त्रिपुरा	7,726.00	231	7,957.00	7,584.77	247.56	7,832.33	-141.23	-124.67
27	उत्तर प्रदेश	14,806.00	7,342	22,148.00	15,045.80	8,950.92	23,996.72	239.80	1,848.72
28	उत्तराखंड	24,303.00	841	25,144.00	24,303.83	1,231.14	25,534.97	0.83	390.97
29	पश्चिम बंगाल	16,902.00	2,006	18,908.00	16,832.33	2,938.12	19,770.45	-69.67	862.45
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,743.00	41	6,784.00	6,732.92	26.97	6,759.89	-10.08	-24.11
31	चंडीगढ़	22.03	25	47.03	25	21.18	46.18	2.97	-0.85
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	227.49	33	260.49	225.62	36.83	262.45	-1.87	1.96
33	जम्मू और कश्मीर	21,122.00	7,944	29,066.00	21,346.39	3666.97	25,013.36	224.39	-4,052.64
34	लद्दाख	2,490.00	-	2,490.00	2,285.92	893.02	3,178.94	-204.08	688.94
35	लक्षद्वीप	27.1	0.29	27.39	27.06	0.20	27.26	-0.04	-0.13
36	पुदुचेरी	52.41	23	75.41	44.31	28.89	73.20	-8.10	-2.21
	कुल योग	**7,12,249.00**	**95,027**	**8,07,276**	**7,15,342.61**	**1,12,014.34**	**8,27,356.96**	**3,093.61**	**20,080.20**